COLLEGE OF AGRICULTURE – PEETHAMPURI

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषि महाविद्यालय पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) – 332 708

Dr. S.K. Khandelwal
DEAN

Email: dean.coapeethampuri@sknau.ac.in **M:** 9549692964

No. F. ( )/Actts/COAPP/2026/१२२८ Date: 23.09.2026

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला सीकर में एक वर्ष हेतु (अक्टूबर 2026 से सितंबर, 2027 तक) निम्न कार्यो की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं / फर्मो / सेवाप्रदाता संस्थाओं / कृषकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.09.2026 को दोपहर 11:30 बजे तक सीलबन्द निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, जिला नीमकाथाना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक–30.09.2026 को सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन दोपहर 01:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी की निविदा समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू.)	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1	कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, (नीमकाथाना) में ऑफिस कार्य, चौकीदारी, सफाई, कृषि फार्म एवं सम्बन्धित अन्य कृषि कार्य हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु।	9,90,000. 00	19,800.00

22/09/2026

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 30.09.2026 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
3. संयोजक एवं सदस्य निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
4. पंचायत समिति नीमकाथाना के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
6. रक्षित फाइल/ निविदा फाइल।
7. सूचना पट्ट।

22/9/2026

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला–सीकर

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक आपूर्ति निविदा प्रपत्र–1

1. ....के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)

2. निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता..

3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है: अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, नीम का थाना,
जिला सीकर (राज.) 332 708

4. सन्दर्भ : ....
5. हम निविदा सूचना संख्या.......................दिनांक....................... की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।
6. ड्राफ्ट नं./नगद रसीद नं. .... दिनांक.............................. रूपये................. धरोहर राशि हेतु संलग्न है।
7. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेषनए PAN, GST नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।
8. निविदादाता का घोषणा पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता

कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला–सीकर

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक आपूर्ति

तकनीकी निविदा प्रपत्र–2

निविदादाता फर्म का नाम व पता मय दूरभाष :– ....
....

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करे)
2. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
3. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
4. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
7. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार की जावेगी।
8. श्रमिको को कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी में ऑफिस कार्य हेतु जैसेः–कम्प्युटर ऑपरेटर ,साफ–सफाई, चौकीदारी, कृषि कार्य, पेड़–पौधो की सिंचाई/दवाईयों का छिडकाव/थ्रेसिंग कार्य/स्टोर आदि कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
9. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात् कोष–कार्यालय जोबनेर से बिल पास होने के बाद ऑनलाईन किया जावेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. Registration of Labour Department (Photo Copy)
12. Registration of GST, ESI &EPF (Photo Copy)
13. PAN No. -- (Photo Copy)
14. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

नोटः निविदा के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

खुली निविदा क्रमांक–1. प्रपत्र

1. कार्य का नाम व क्रमांक	1. अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य
2. कार्य की अनुमानित अवधि	एक वर्ष अक्टूबर, 2026 से सितंबर 2027 तक)
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/– रूपये बैंक ड्राफ्ट/नगद
4. धरोहर राशि की प्रकृति	19,800/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट **Dean, COA, Peethampuri** के पक्ष में
5. कार्य की अनुमानित मात्रा	कृषि एवं सम्बन्धित कार्य, रात्रि चौकीदार, सफाई कर्मी, कम्प्युटर कर्मी आदि कार्य हेतु अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति हेतु अनुमानित लागत 9.90 लाख रूपये
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	30.09.2026 को सुबह 10.30 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	30.09.2026 को दोपहर 11.30 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	30.09.2026 को दोपहर 01.00 बजे
9. पृष्ट संख्या दौ से चार	निविदा की शर्ते
10. परिशिष्ट संख्या एक – पृष्ट संख्या पाँच	श्रमिकों की आपुर्ति कार्य हेतु दरों का विवरण
11. पत्राचार हेतु पता– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.) 332 708	मोबाईल नं.–9549692964 **Email:- dean.coapeethampuri@sknau.ac.in**

निविदा की शर्ते:–

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर **"अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य"** लिखा हो को अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, नीमकाथाना– 332 708 को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट रूप लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कार्यालय कार्य/शस्य क्रियायें आदि सम्बंधित वैज्ञानिक या फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले लधु औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी। जिनका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
4.	फार्म पर ऑफिस/कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/फर्म की होगी।
5.	श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिकों को बदलने व निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
6.	श्रमिकों को आवश्यकता होने पर आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
7.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरियता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि कार्यादेश की तारीख **सितंबर**, 2027 तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार और बढ़ाई जा सकती है।
8.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थो का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
9.	कार्यालय की सुरक्षा तथा फार्म क्षेत्र में लगे सभी उपकरण व सामान जिसमें नसरी, ट्यूबवैल व फील्ड में लगे चारों तरफ के पेड़ों एवं बाउन्ड्री की चौकीदारी एवं सुरक्षा भी करनी होगी।
10.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11.	श्रमिकों को बीमार होने, दुर्घटना होने या अन्य श्रमिकों को क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति नही करेगा।

12.	श्रमिकों को सभी कार्य समय पर प्रभारी अधिकारी, फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की मांग के अनुसार करने होगें यदि कोई श्रमिक कार्य समय पर नहीं करता है या प्रभारी अधिकारी कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा श्रमिक को अनुपस्थित करार दिया जायेगा व मजदूरी भुगतान नही किया जावेगा।
13.	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह समय पर अग्रिम करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय मे बिल प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान नियमानुसार कोषालय (ट्रेजरी) से पास होने पर किया जावेगा।
14.	रात्रि चौकिदारी को छोड़कर शेष अन्य श्रमिकों के कार्य का समय सुबह 8 बजे से सांय 5 बजे तक या प्रशासन के नियमानुसार किया जावेगा।
15.	आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार/श्रमिक की होगी।
16.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17.	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG & AR, TTPPA2012 व RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की रहेगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
18.	सफल निविदादाता को 500/— रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
19.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
20.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड एवं विधिमान्य श्रमिक आपुर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है जिनकी सत्यापित छायाप्रतियां निविदा के साथ संलग्न करें।
21.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
23.	उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
24.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर/टीडीएस कटौती की जायेगी। जिसके लिए पेन कार्ड की स्वंसत्यापित प्रतिलिपि एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी श्रमिकों की आपुर्ति हेतु वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
25.	ठेकेदार/फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. श्रमिकों के नाम से उनके खातों में जमा कराना होगा जिसकी सत्यापित प्रति कार्यालय मे बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी एवं जिसका निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय—समय पर रिकार्ड जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
26.	सर्विस टैक्स/जीएसटी/आयकर हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तथा सर्विस टैक्स/जीएसटी/आयकर/टीडीएस कटौती मान्य दरों से विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संस्था द्वारा ठेकेदार/फर्म के बिलों के भुगतान में से नियमानुसार काट ली जावेगी।
27.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
28.	श्रमिकों को न्युनतम मजदूरी भुगतान राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन/प्रतिमाह न्युनतम मजदूरी के अनुरूप करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय मे बिल प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ के भुगतान एवं खाते मे मजदूरी की राशि का स्थानान्तरण का बैंक विवरण पृथक रूप से पूर्ण विवरण के साथ सत्यापित कर सलग्नं कर प्रस्तुत करना होगा जिसकी जॉच के उपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
29.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमे निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नही दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा।
30.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के लिए रू. 19,800/— रूपये का बैंक ड्राफ्ट Dean, COA, Peethampuri के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।

31.	➤ सीलबन्द एक लिफाफे तकनीकी रूप से समिलित करने हेतू निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके उपर बाहर **तकनीकी दस्तावेज** लिखा जावे। 1. निविदादाता/फर्म का श्रम विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 2. सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर/पेन कार्ड/ई.एस.आई./ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रतियां 3. सी.ए. से प्रमाणित तीन साल का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र 4. निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित। 5. धरोहर राशि के लिए रू. 19,800/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट 6. ठेकेदार/फर्म द्वारा घोषणा पत्र की फर्म काली सूची में नही है एवं किसी सरकारी कार्यालय अथवा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की कोई ईकाई द्वारा किसी प्रकार का मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित आक्षेप लम्बित नही है। 7. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो। ➤ सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तीय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं. 1 अवश्य एवं अलग से रखा जावे। जिसके ऊपर बाहर **वित्तीय दरें** लिखा जावे। ➤ तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा। दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे मे बन्द कर कार्यालय मे प्रस्तुत किया जावें
32.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। सेवा प्रदात्ता को सर्विस टैक्स/सेवा प्रदात्ता का चार्ज के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। अन्य सभी भुगतान श्रमिको के पक्ष में राजस्थान सरकार के श्रम विभाग एवं वित्त विभाग के दिशानिर्देषों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। तथा सभी सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
33.	प्रस्तावित दर अंको में स्पष्ट लिखकर देनी होगी किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
34.	निविदादाता/फर्म द्वारा पिछले तीन साल का टर्नओवर का प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
35.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार एवं वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के अनुसार लागु होगी।
36.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अर्न्तगत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही इस बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजो के साथ इस संस्था को प्रस्तुत करनी होगी।
37.	संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रमिको के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत् इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही सवेंदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
38.	विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर राशि रू. 500/– प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
39.	संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदन का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

40.	संवेदक को इस विभाग द्वारा भुगतान की गई EPF की राशि का पृथक चालान जमा करवाना होगा तथा गत माह बिलों से भुगतान EPF राशि का चालान प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान दिया जायेगा।
41.	राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
42.	श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
43.	नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
44.	कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते दैनिक वेतन काटने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
45.	बिना प्रतिफल वाली निविदा स्वीकार नहीं होगी।
46.	मैं उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहूंगा।
47.	उक्त शर्तो को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी हस्ताक्षर एवं मोहर कर दी है।

हस्ताक्षर निविदादाता एवं मोहर

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा नं. 1 में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिडसिक्यूरिटी के DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है। इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं. 2 नहीं खोला जावेगा ।
2. लिफाफा नं. 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है ।

हस्ताक्षर निविदादाता

कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी, नीम का थाना, जिला सीकर में केन्द्र विभिन्न कार्यो हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा। (संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखे)

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

मैं .... उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए कृषि एवं सम्बन्धित कार्य हेतु अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ। सभी सम्बधित दस्तावेज, आयकर विवरणी, सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन, PAN, GST नम्बर, बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (Declaration) सर्टिफिकेट सलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता

परिशिष्टि संख्या–।

(लिफाफा नं. 2 में रखें)

निविदादाता द्वारा अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य हेतु दरों का विवरण

01 वर्ष हेतु (अक्टूबर, 2026 से सितंबर, 2027 तक)

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (रू.)	EPF दर प्रतिशत (13%) (रू.)	ESI दर प्रतिशत (3.25%) (रू.)	सेवा प्रदाता का चार्ज दर प्रतिशत (प्रति श्रमिक प्रति दिवस के अनुसार) (रू.)	कुल राशि (5 से 8=9) (रू.)
		आवश्यक मानव के प्रकार कार्य हेतु	न्यूनतम मजदूरी दर (रू.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	285					
2	अर्द्ध कुशल श्रमिक	अर्द्ध कुशल श्रमिक	297					
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	309					
4	उच्च कुशल श्रमिक	उच्च कुशल श्रमिक	359					

- सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तीय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र **परिरिष्ट सं. 1** अवश्य एवं अलग से लिफाफा नं. 2 में रखा जावे। जिसके उपर बाहर **वित्तीय दरें** लिखा जावे।
- राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप दरे रहेगीं तथा परिवर्तन होने पर परिवर्तित की जा सकेगी जो, वित्त नियंत्रक श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के आदेशानुसार होगी।
- **मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।**

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

प्रपत्र "अ"

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसा टर्न ओवर (रू. में)
2023-24	
2024-25	
2025-26	
योग	

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष

सी.ए. द्वारा प्रमाणित

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर एवं दिनांक

प्रपत्र "ब"

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा ईकाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा ईकाइयों के संतोषप्रद कार्य करने/होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझें/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र – ''स''

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि हमने कृषि व अन्य कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबंध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड एनी स्वायतशाषी संस्था आदि को श्रमिकों की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए समहति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर